प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड–देहरादून।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
नैनीताल, उधमसिंहनगर, अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ, चम्पावत,
देहरादून, पौडी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार।

पत्रांक2218/ पशुधन–तीन/पैरावेट कृ0ग0 कार्यकर्ता/2022–23 दिनांक27 जुलाई, 2022

विषय– **कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को राज्य सैक्टर के अर्न्तगत अवमुक्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के शासनादेश संख्या–372/XV–1/2020–2 (28) 2019 दि0–28 मई, 2020 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–615/XV–1/22–2(28)2019 दिनांक 24 मई, 2022, के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–2116/नि–5/एक (55)/कृ.ग.प्रो.यो./2022–23 दिनांक 21 जुलाई 2022 के द्वारा आवंटित धनराशि को ससमय नियमानुसार व्यय करने के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है:–

1. शासनादेश संख्या–372 दिनांक 28 मई, 2020 यथा संशोधित शासनादेश संख्या–615 दिनांक 24 मई, 2022 में निहित प्रावधानों के अनुरुप कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता (मैत्री/उपसा) को उनके द्वारा प्रत्येक माह में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किये गये कृत्रिम गर्भाधान की संख्या के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।
2. इस कार्यालय के पत्र संख्या–2116/नि.–5, दिनांक 21 जुलाई, 2022 के द्वारा आवंटित धनराशि का व्यय नियमानुसार मासिक रूप से किया जाय।
3. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता दिनांक 24 मई, .2022 से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
4. प्रत्येक माह में 01 तारीख से माह की अन्तिम तिथि तक किये गये कृत्रिम गर्भाधान की इन्ट्री इनाफ पोर्टल पर करने का उतरदायित्व संबंधित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का होगा।
5. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा माह में किये गये कृत्रिम गर्भाधान की इनाफ पोर्टल पर इन्ट्री के आधार पर अपने मानदेय का बीजक तैयार कर अगले माह की तीन तारीख तक संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
6. पशु चिकित्साधिकारी द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये मानदेय बीजक का 10 प्रतिशत सत्यापन करने के पश्चात भुगतान की संस्तुति के साथ, माह की 07 तारीख से 10 तारीख तक कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का बिल भुगतान हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
7. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु चिकित्साधिकारी से सत्यापन/संस्तुति उपरान्त प्राप्त समस्त कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के बीजकों का भुगतान प्रत्येक माह की 20 तारीख से पूर्व कोषागार के माध्यम से संबंधित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के खाते में किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार शासनादेश में उल्लिखित तथा उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए योजना संचालन करना सुनिश्चित किया जाय। कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को भुगतान न होने की स्थिति में, जिस स्तर पर भी बिलम्ब हो, सम्बन्धित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

संलग्न–उक्तानुसार शासनादेश।

भवदीय

(डा0 प्रेम कुमार)
निदेशक।

पत्रांक /पशुधन–तीन/पैरावेट कृ0ग0 कार्यकर्ता/2022–23 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी–नैनीताल/गढवाल मण्डल पौडी।
2. मुख्य अधिशासी, अधिकारी उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डवलपमेन्ट बोर्ड देहरादून।

(डा0 प्रेम कुमार)
निदेशक।

संख्या–615 /XV-1/22–2(28)2019

डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, (देहरादून)।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 24 मई, 2022

विषयः राज्य में कार्यरत स्वरोजगारी (Private) कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1011/पशुधन तीन/स्व०कृ०ग०कार्यकर्ता–मानदेय/2021–22 दिनांक 06 जुलाई, 2021 व 29 अक्टूबर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शासनादेश संख्या–372/XV-1/2020–2(28)2019 दिनांक 28–5–2020 मे वर्णित शर्त संख्या–2 "कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रदेश में यदि किसी अन्य योजनान्तर्गत मानदेय प्राप्त हो रहा हो तो उसे प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक ही स्त्रोत से किया जायेगा।" को संशोधित किये जाने के संबंध मे है।

उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभागान्तर्गत राज्य में कार्यरत स्वरोजगारी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि संबंधी शासनादेश संख्या–372/XV-1/20–2(28)2019 दिनांक 28 मई, 2020 में वर्णित शर्त संख्या–2 को तात्कालिक प्रभाव से विलोपित (Expunge) किये जाने की एततद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार उल्लिखित शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत प्रभावी रहेंगी।

भवदीय,

(डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम)
सचिव

संख्या– /XV-1/22–2(28) 2019 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, गोपन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या– /XV-1/2020–2(28)2019

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 28 मई, 2020

विषयः राज्य में प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2701/पशुधन तीन/सी०एम०डैसबोर्ड/2019–20 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने हेतु पर्वतीय क्षेत्र के पैरावेटो को रू० 50.00 प्रति व मैदानी क्षेत्र के पैरावेटो को रू० 40.00 प्रति कृत्रिम गर्भाधान प्रोत्साहन राशि अधिकतम 100(सौ) कृत्रिम गर्भाधान कार्य प्रतिमाह प्रति पैरावेट की सीमा तक अनुमन्य किये जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो व पंजीकृत कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हो।
2. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रदेश में यदि किसी अन्य योजनान्तर्गत मानदेय प्राप्त हो रहा हो तो उसे प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक ही स्त्रोत से किया जायेगा। संबंधित से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जायेगा।
3. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 120 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त हो व तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करता हो।
4. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के खिलाफ कोई गम्भीर शिकायत व जाँच लम्बित न हो।
5. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन राशि में किसी प्रकार की वार्षिक वृद्धि एवं भविष्य में नियमित कार्मिकों के समान वेतन तथा विभाग में समायोजन किये जाने की माँग नहीं की जायेगी। इस संबंध में विभागीय स्तर पर संबंधित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से एक शपथ पत्र भी लिया जाना आवश्यक होगा।
6. प्रोत्साहन राशि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ही अनुमन्य होगा।
7. कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही तथा कृषकों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों की पुष्टि होने पर प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी तथा इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।
8. कृत्रिम गर्भाधान किये जाने वाले पशुओं को इयर टैग लगाकर इनाफ सॉफ्टवेयर में पंजीकरण की कार्यवाही का उत्तरदायित्व कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता का होगा। कृत्रिम गर्भाधान कार्य के आधार पर इनाफ सॉफ्टवेयर में एन्ट्री की जानी आवश्यक होगी। तत्पश्चात ही निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा।
9. योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु पारदर्शिता के दृष्टिगत त्रैमासिक आधार पर प्रति–परीक्षण (Cross Examination) विभागीय स्तर पर किया जायेगा तथा सन्तोषजनक सेवा की पुष्टि के पश्चात ही चयनित कार्यकर्ताओं से कार्य लिया जायेगा।

10. कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक प्रकरण (Casewise) का डाटा एन्ट्री एवं अभिलेख संरक्षण का कार्य सॉफ्टवेयर इनाफ के माध्यम से किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत कार्यो/परिणामों का यादृच्छिक (Random) आधार पर भौतिक सत्यापन विभागीय — स्तर पर किया जाना आवश्यक होगा।

11. कृत्रिम गर्भाधान कार्य एवं उत्पन्न संतति के 10 प्रतिशत का सत्यापन भी विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। फर्जी आंकड़े/सूचनायें पाये जाने पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि आवश्यक होगा तो पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकेगा।

2. राज्य में प्रशिक्षित प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु पात्रता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:–

पर्वतीय क्षेत्र हेतु पात्रता	
प्रथम वर्ष	10 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।
द्वितीय वर्ष	20 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।
तृतीय वर्ष	30 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।
मैदानी क्षेत्र हेतु पात्रता	
प्रथम वर्ष	20 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।
द्वितीय वर्ष	40 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।
तृतीय वर्ष	60 प्रतिमाह से अधिक कृत्रिम गर्भाधान कार्य पर ही कार्यकर्ता अनुमन्य लाभों का पात्र होगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–10/XXVII-4/2020 दिनांक 19 मई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– 372 / XV-1/2020–2(28) 2019 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा०मंत्री पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अधिशासी अधिकारी,उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव